उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
(भू–अर्जन शाखा)

दिनांक 12.03.2016 को 3.00 बजे अपराह्न में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में आयोजित भूमि अर्जन, पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 45 के आलोक में जिला स्तरीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी में दर्ज है।

उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय सभाकक्ष में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा– 45 के आलोक में जिला स्तरीय बैठक की गयी। उक्त बैठक में धारा– 45 एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 374/नि०रा० दिनांक 10.04.2015 के आलोक में उपस्थित सदस्यों के साथ बैठक कर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के द्वारा की जानी वाली कार्यों की विस्तृत चर्चा की गयी। उन्हें बताया गया कि प्रशासक के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम/योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक लेखा परीक्षा करेगी। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा परियोजना स्तर पर इसका विचार विमर्श करेगी, सुझाव देगी एवं अनुशंसा करेगी और समय–समय पर बैठक आयोजित करेगी पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन पुर्नविलोकन करेगी।

उक्त बैठक में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंधों एवं भू–अर्जन के कतिपय मामलों में चर्चा हुई, जो निम्न प्रकार है :–

1.माननीय विधायक श्री दीपक विरूवा, चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के द्वारा विचार व्यक्त किया गया है कि जिले में चल रहे विभिन्न सड़को के चौड़ीकरण परियोजानाओं के लिये अधिग्रहण की जानी वाली भूमि में भू–अर्जन प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व ग्राम सभा की सहमति नहीं ली जा रही है जो पेसा एक्ट का उल्लंघन है। जिस पर उपायुक्त महोदय के द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि सड़क परियोजनाओं के लिये पेसा एक्ट का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। रेखीय परियोजना अन्तर्गत ग्राम सभा की सहमति जहां एक पंचायत का समावेश हो वैसे मामले में ग्राम पंचायत, एक से अधिक पंचायत का समावेश होने की स्थिति में पंचायत समिति तथा एक से अधिक प्रखण्ड का समावेश होने की स्थिति में जिला परिषद् की सहमति प्राप्त की जाएगी।

2.माननीय विधायक श्री दीपक विरूवा, चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के द्वारा सुझाव दिया गया है कि अधिग्रहण की स्थिति में विस्थापित हुये प्रभावित परिवार के प्रत्येक सदस्यों को नियोजन उपलब्ध कराया जाय।

3. माननीय विधायक श्री दीपक विरूवा, चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के द्वारा सिंहपोखरिया असुरा बलान्डिया पथ अन्तर्गत बहुत मौजों में सड़क निर्माण कार्य पूरी हो गयी इसके बावजूद भुगतान नहीं होने का मामला उठाया गया। जिस पर समिति को बताया गया कि उक्त मौजों के अंदर अधिग्रहित भूमि का पुराने अधिनियम के तहत् एवार्ड की गयी एवं बहुत से रैयतो का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। शेष बचे रैयतों का भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। तथा झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 लागू होने के कारण अधियाची विभाग से भू–अर्जन हेतु नये सिरे से इस नियमावली के अन्तर्गत दिये गये

प्रावधान के अनुरूप अधियाचना की मांग इस कार्यालय द्वारा किया जा चुका है, जो अधियाची विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है। नयी नियमावली के अन्तर्गत अधियाचना प्राप्त होते ही त्वरित गति से भू–अर्जन की कार्रवाई की जायगी। इस जिले के द्वारा मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारी को भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा भूगतान हेतु विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गयी थी जिस पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (भू–अर्जन निदेशालय), झारखण्ड राँची के संकल्प सं० 179/नि०रा० दिनांक 11.03.2016 के द्वारा मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारियों को भुगतान का दिशा निर्देश निर्गत हुआ है। जिला भू–अर्जन कार्यालय को उक्त मार्गदर्शन के आलोक में त्वरित गति से शेष लंबित मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

4.इसके अलावे अन्य विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा भूमि अधिग्रहण से विस्थापित होने पर प्रभावित परिवार के व्यक्तियों को रोजगार एवं उचित मुआवजा दिये जाने का सुझाव दिया गया है।

5.श्री घनश्याम गागराई, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि द्वारा सुझाव दिया गया कि भूमि अधिग्रहण से विस्थापित प्रभावित परिवार के सदस्यों को कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण का सुविधा उपलब्ध कराया जाए, ताकि योग्यता के अनुसार नियोजन का लाभ दिया जा सके। एवं उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि विस्थापित परिवार को एक ही जगह पर अपने लोगों के बीच बसाया जाए।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई सम्पन्न हुई।

ह०/–

उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम,
चाईबासा।

ज्ञापांक 79(भी)/भू०अ० दिनांक 12-03-16

प्रतिलिपि :– सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय सांसद, चाईबासा संसदीय क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय विधायक, ... को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रतिनिधि .... को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम,
चाईबासा।